कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

//विविध–आदेश//

(कार्य विभाजन में संशोधन)

क्रमांक 201 /दो–1–1/2000 रीवा, दिनांक 06/12/2024

मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा–15 व 21 (4) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–8 उपधारा–7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक–336/दो–1–1/2000 दिनांक 30 अप्रैल 2024 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगाः–

.1 सरल क्रमांक–18 लगायत 20, सरल क्रमांक 33, सरल क्रमांक 42, सरल क्रमांक 50 (अ), सरल क्रमांक 51, सरल क्रमांक 52, सरल क्रमांक 55, सरल क्रमांक 56, सरल क्रमांक 58 (अ) एवं सरल क्रमांक 65 में निम्नानुसार स्थापित/निर्मित किया जाता हैः–

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	वादों का प्रकार
		मउगंज	
18	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश मऊगंज (रिक्त न्यायालय)		
19	श्री संजीव कटारे, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील हनुमना का क्षेत्र	1– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां एवं आवेदन पत्र।
			2– तहसील हनुमना क्षेत्र के रूपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहारवाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
			3– समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ एवं वरिष्ठ खण्ड हनुमना एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज के न्यायालयों के निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित एवं विविध अपीलें।
			4– थाना हनुमना, शाहपुर, लौर की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र।
			5– भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोवेट प्रकरण।
			6– पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम तथा हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			7– रूपये 5 सौ से अधिक और रूपये 1 हजार से अनाधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)।
			8– हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एवं भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
			9– भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण।
			10. तहसील मउगंज/नईगढ़ी/हनुमना क्षेत्र के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे सभी प्रकरण जिनका उल्लेख कार्य विभाजन पत्र में अन्यत्र नहीं किया गया हो। (प्रधान जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
		सत्र खण्ड	1– यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीले, दाण्डिक पुनरीक्षण व अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।
			2– थाना मउगंज एवं हनुमना अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो मऊगंज/हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किये जाते है, वे उपार्पण के पश्चात प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी।

			3– मऊगंज में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड) एवं हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरूद्ध दाण्डिक अपीलें व निगरानियां।
			4– थाना हनुमना/नईगढ़ी क्षेत्राधिकार की धारा 438 व 439 द0प्र0सं0 के जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई की जावेगी।
			5– मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा–52 के तहत उत्पन्न प्रकरण।
			6– सिविल जिला रीवा के मऊगंज क्षेत्र के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन–पत्र।
20	श्री हीरालाल अलावा, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज एवं नईगढ़ी का क्षेत्र	**1–** समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसें उदभूत होने वाले निष्पादन व विविध कार्यवाहियां व आवेदन–पत्र।
			2– रूपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहारवाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
			3– समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज के न्यायालयों के निर्णय, डिकी एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली नियमित एवं विविध अपीलें।
			3– थाना मऊगंज **एवं नईगढ़ी** की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र।
			4– पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम तथा हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			5– हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एवं भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
			6– भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण।
			7– रूपये 5 सौ से अधिक और रूपये 1 हजार से अनाधिक मूल्य के लघ ुवाद प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)।
			8– लोक परिसर (अनाधिकृत अधिपत्यधारी बेदखली अधिनियम) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें (धारा–9 द्वारा अधिकृत)
			9– प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			10– तहसील मऊगंज की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत मध्यप्रदेश एकोमोडेशन कन्ट्रोल एक्ट 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें।
		सत्र खण्ड	1– यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दण्डिक पुनरीक्षण व अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।
			2– थाना लौर/नईगढ़ी/शाहपुर अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो मऊगंज/हनुमना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपार्पित किये जाते हैं, वे उपार्पण के पश्चात् द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज की न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी।
			3– थाना मउगंज/लौर/शाहपुर क्षेत्राधिकार की धारा–438 व 439 दं0प्र0सं0 के जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई की जावेगी।
			5– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012 (2012 का 32) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले तहसील मऊगंज क्षेत्र के समस्त स्थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही।
			6. अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसील मुख्यालय मउगंज एवं हनुमना के आदेश के विरूद्ध धारा 133, 145 एवं 146 द0प्र0सं0 संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152, 164 एवं 165 के अधीन पारित आदेशों से उदभूत दाण्डिक पुनरीक्षण।
			7– मऊगंज में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड) द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरूद्ध दाण्डिक अपीलें व निगरानियां।

		रीवा	
33	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर /गुढ़/ रायपुर कर्चुलियान	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।
42	प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अति0 न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय)		
		मऊगंज	
50 (अ)	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तह. मऊगंज /नईगढ़ी	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
51	प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के प्रथम अति0 न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय)		
52	प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज के न्यायालय के द्वितीय अति0 न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय)		
		त्योंथर	
55	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर	सिविल जिला रीवा की तहसील त्यौंथर	1–प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
			2–रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण ।
			3–भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग–10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र।
			4–रूपये दो सौ से अधिक और रूपये पांच सौ से अनाधिक मूल्य के लघु वाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)
			5–म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीले।
			6. तहसील त्योंथर के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे प्रकरण जिनका उल्लेख कार्य विभाजन पत्र में अन्यत्र नहीं किया गया हो।
56	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (रिक्त न्यायालय)		
58 (अ)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (रिक्त न्यायालय)		
		मनगवां	
65	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनगवां, जिला रीवा (म0प्र0)	सिविल जिला रीवा की तहसील मनगवां	1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
			2– रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।
			3– रूपये दौ सौ मूल्य तक के लघु वादस्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत).

सरल कमांक 65 के पश्चात् अंकित नोट के कंडिका कमांक 05 लगायत 12 को विलोपित किया जाकर निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :–

5. अतिरिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे है, उक्त रिक्त न्यायालयों के समस्त सिविल प्रकरण (क्लेम एवं भुगतान को छोड़कर) से संबंधित आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **चतुर्थ जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश रीवा** एवं समस्त किमिनल प्रकरण से संबंधित आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा** एवं समस्त क्लेम प्रकरणों एवं भुगतान से संबंधित समस्त प्रकार के आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा** को अधिकृत किया जाता है।

6. अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे है, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु क्रमशः **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा**, **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा** को अधिकृत किया जाता है।

7. अतिरिक्त/जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे है, उक्त रिक्त न्यायालयों के समस्त सिविल प्रकरण (क्लेम एवं भुगतान को छोड़कर) एवं किमिनल प्रकरण से संबंधित आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज** एवं समस्त क्लेम प्रकरणों एवं भुगतान से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज** को अधिकृत किया जाता है।

8. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज/हनुमना, अति./व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे है, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु क्रमशः **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज**, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज को अधिकृत किया जाता है।

9. अतिरिक्त/जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे है, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त सिविल प्रकरण (क्लेम एवं भुगतान को छोड़कर) एवं किमिनल प्रकरण से संबधित आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर** एवं समस्त क्लेम प्रकरणों एवं भुगतान से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश** को अधिकृत किया जाता है।

10. अति./व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर, अति./व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे है, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु क्रमशः **प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर**, **तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर** को अधिकृत किया जाता है।

11. अतिरिक्त/जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे है, उक्त रिक्त न्यायालयों के समस्त सिविल (क्लेम एवं भुगतान को छोड़कर) एवं किमिनल से संबंधित आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर** एवं समस्त क्लेम प्रकरणों एवं भुगतान से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश** को अधिकृत किया जाता है।

12. अति./व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर, अति./व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे है, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु क्रमशः **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर**, **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर** को अधिकृत किया जाता है।

13. अति./व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे है, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु **व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना** को अधिकृत किया जाता है।

14. कंडिका क 05 से 13 में अंकित न्यायाधीश के अवकाश अवधि में रहने पर अथवा अनुपस्थित रहने की दशा में परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए न्यायाधीशगण के कमानुसार कार्य संपादित करेगें।

15. समस्त न्यायाधीशगण आवंटित सिविल प्रकरणों के सुनवाई क्षेत्राधिकार के अतंर्गत सिविल वेकेशन में प्रस्तुत होने वाले आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई करेगें।

16. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिले में पदस्थ अन्य न्यायाधीशों के अवकाश पर, स्थानांतरण पर अथवा मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में उक्त न्यायालय के अत्यावश्यक सिविल, आपराधिक एवं विशेष प्रकरणों की सुनवाई सुलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए न्यायाधीशगण द्वारा की जायेगी।

6. परिशिष्ट–अ की कंडिका 20 से 22, कंडिका कमांक 31 से 38, कंडिका कमांक 42 से 46, कंडिका कमांक 49 से 52 एवं कंडिका कमांक 59 को विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

क.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेगें
20	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज	1. द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज 2. तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
21	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज	1. प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज 2. पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
31	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
32	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. षष्ठम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
33	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. षष्ठम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. अष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
34	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. अष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
35	अष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अति0 न्यायाधीश रीवा
36	नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अति0 न्यायाधीश रीवा 2. प्रथम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
37	प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अति0 न्याया. रीवा	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
42	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज 2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज
43	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज	1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज 2. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज
44	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज	1. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज
45	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज
49	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर
50	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर
51	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर
59	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मनगवां	1. पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा

(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक– 6302 /दो–1–1/2000 रीवा, दिनांक 06/12/2024

प्रतिलिपिः–

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा/मउगंज/त्यौंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/मउंगज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
3. फाईलिंग काउंटर के समस्त कर्मचारी रीवा/मउंगज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा
   की ओर वेबसाईट में अपलोड एवं संबंधित को ई–मेल किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)